

H. F. 24 Indo-UAR Project

1908. SHRI S. K. TAPURIAH:
SHRI HARDAYAL
DEVGUN;
SHRI BHOGENDRA JHA:

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether efforts to secure a suitable engine for HF-24 being produced by the Hindustan Aeronautics Ltd., from the U.A.R. have failed;

(b) if so, the further steps which have been taken to secure such an engine for the aircraft from other sources; and

(c) the latest prospects of securing required foreign collaboration for the purpose?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI L. N. MISHRA): (a) Flight Development trials of the UAR E-300 engine are still in progress in the U.A.R. and a firm decision regarding this matter has not yet been taken.

(b) and (c). Do not arise.

Tour programme of Chief of Army Staff

1909. SHRI RAM SWARUP VIDYARATHI: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state.

(a) whether it is a fact that the tour programme of forward areas of the Chief of Army Staff is a secret subject matter dealt with in the Army Headquarters, but the authorities give the Press in advance such tour programmes or publication; and

(b) if so, the reasons therefor and the action taken in this regard?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI SWARAN SINGH): (a) The tour programmes of the Chief of Army Staff to forward areas is not officially given out to the Press in advance.

(b) Does not arise.

अधिकारी को राजनयिक पासपोर्ट जारी करना

1910. श्री राम स्वरूप विद्यार्थी : क्या बंबेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय के एक अधिकारी को, जिसे भारत सप्लाई मिशन में प्रतिनियुक्त पर भेजा गया था और जिसके पास गैर-राजनयिक पासपोर्ट था, भारत को लौटते समय एक राजनयिक पासपोर्ट दिया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण थे; और

(ग) राजनयिक पासपोर्ट जारी करने सम्बन्धी नियम क्या हैं ?

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा बंबेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी). (क) और (ख). वाशिंगटन-स्थित इंडिया सप्लाई मिशन में 1964 में नियुक्त, निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय के एक अधिकारी को, जो प्रशासनिक विनियमों के अनुसार उस समय सरकारी पासपोर्ट प्राप्त कर सकते थे, अब उन्हीं विनियमों के अधीन एक राजनयिक पासपोर्ट दे दिया गया है, वे यथासमय भारत लौटने वाले हैं।

(ग) राजनयिक पासपोर्ट जारी करने से संबंधित नियम पासपोर्ट नियमावली, 1967 की अनुसूची-2 में दिये गये हैं; और जिन लोगों को साधारणतया राजनयिक पासपोर्ट दिया जाता है, उनकी एक सूची 18-12-67 को प्रश्न संख्या 4754 के संदर्भ में सदन की मेज पर रख दी गई थी।

विदेशों में भारतीय

1911. श्री राम स्वरूप विद्यार्थी : क्या बंबेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय विदेशों में कितने भारतीय रह रहे हैं; और